FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला सरकार** बनाम **अज्ञात**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट**

प्रा0पत्र नम्बर 15/180/2023 दायर दिनांक 21.07.2023

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.10.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरणं में वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 32 जी.बी. 6781 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी बडौदामेव एवं थानांधिकारी कोटकासिम जिला अलवर से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी बडौदामेव ने पत्रांक 1756 दिनांक 14.08.2023 एवं थानाधिकारी कोटकासिम ने पत्रांक 3261 दिनांक 05.09.2023 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन से अनुसंधान हो चुका है, वाहन छोड दिया जाये तो कोई आपत्ति नही है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/— (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द—बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित राशि के जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करने हेतु पत्रावली दिनांक 06.11.2023 को पेश हो। जिला कलक्टर अलवर	
06/11/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपी० उप०/ अनु० पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली ... दिनांक .... । 15/11/23 रीडर	

14/11/23

पत्रावली पेश हुई। नवीन पदस्थापन उपरान्त
निर्धारित मानक के प्रावधानों के
दृष्टिगत श्री कि.पी. [illegible]
हेतु पत्रावली प्रस्तुत। इ.प.अ. - कार्यालय
को वाहन उपलब्ध करने हेतु आवश्यक
कार्यवाही। पत्रावली पुनः प्रस्तुत हो
बाद तामील [illegible] पत्रावली हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)